न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-2376-III/14

किशोरी , बारेलाल , हल्काई , इमरत, जगदीश लोधी,

सभी पुत्रगण रामप्रसाद लोधी ,

निबासी ग्राम रजपुरा, तह0 वल्देवगढ़ एवं जिला टीकमगढ़

.............आवेदक

बिरूद्ध

म0 प्र0 शासन ....रिस्पॉडेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है:–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 96/स्व0 निगरानी/02–03 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 31/03/2004 से परिवेदित होकर कर रहा है जो जानकरी दिनॉक से समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपंत्र संलग्न है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण को तहसीलदार वल्देवगढ़ द्वारा अपने प्र0 क0 275/अ–19(4)/95–96 में पारित आदेश दिनॉक 25/08/1999 के द्वारा ग्राम रमपुरा नजदीक सेवार की भूमि खसरा नं0 290/2ख रकवा 0.809 है0 का व्यवस्थापन 02 अक्टूबर 1984 के प्रावधानों के तहत किया गया था।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

किशोरी / शासन

प्रकरण क्रमांक R-3376-III/2014 जिला टीकमगढ़ (4)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-2-14 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता द्वारा समय सीमा अधिनियम की धारा-5 के प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्र.क्र. 96/स्व.निग./2002-03 में पारित आदेश दि. 31-3-2004 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में 10 वर्ष से भी अधिक के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा धारा-5 के आवेदन व तर्कों में जो तथ्य विलम्ब के संबंध में प्रस्तुत किये गये है वह अपर्याप्त तथा तथ्यहीन है। ऐसी स्थिति मे धारा-5 का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रथमदृष्टया निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य नहीं होने से यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	

[कृ. प. उ.